Schedule XLIII—High Court (M) 34C. [Old Criminal Process No. 7]

ORDER OF ATTACHMENT TO COMPEL THE APPEARANCE OF PERSONS ACCUSED

[Form no. 7 Schedule II Act 2 1974.]

(Section 83 of the code of Criminal procedure.)

शख मूर्तहित को हाजिर कराने के लिए कुर्की का हुक्म ।

दफा 83 मजमूअए जवाबिते फौजदारी ।

(१) नाम वो निशान उनका या उन अश-खास का जो वारन्ट को तामील करे ।

(२) नाम वा निशान वो पता ।

(३) किया है या करने का उन पर शुबहा है ।

(४) दाम ।

(५) फेरार हुए है या रुपोश है ताके वारन्ट मजकूर उन पर जारी व हो सके ।

(६) मौजा या शहर

ब-नाम (१)

चूंकि मेरे हुजूर में नालिश हुई है के (२)
ने जुर्म
का जो ब-मुजिब दफा मजमुअए ताजिराते हिन्द के सजा के लायक है (३)
और ब-तामील वारन्ट गिरफ्तारी के जो बाद अजा जारी हुआ था यह कैफियत दी गई है के (४)
मजकूर
मिलते नहीं है और चूंकि ब-तशफ्फी मेरे यह बात साबित की गई है (४)
मजकर (५)
और एक इश्तिहार हस्ब जाबिता जारी और मुश्तहर किया गया है या किया जा रहा है इस मजमून से के मजकूर
नालिश मजकूर की जवाबदेही के लिये दिनों के अन्दर हाजिर हों और चूंकि मजकूर सिवाय ऐसी अराजी के जिसकी मालगुजारी सरकार मे दी जाती है जायदाद मुन्दज जेल के(६)
मोतअल्लिका जिला
थाने जायदाद
रखते है उसके कुर्की के लिये हुक्म सादिर हुआ है ।

लेहाजा आपको इसके जरिये से हुक्म दिया जाता है कि जायदाद मजकुर को मजमूअए जवाबिते फौजदारी के दफा ८३ में दिए गये तरीके के मुताबिक कुर्क कर ले और इस अदालत से सानी हुक्म के सादिर हुआ तक उसका कुर्क रख और इस वारन्ट को मय कैफियत इस अमर के किस तरह तामील हुआ वापस करें ।

आज तारीख माह सन् १९

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया ।(ए०पी०)